सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नयी दिल्ली.

***

भारत में अध्ययन के लिए

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(केंद्रीय प्रायोजित योजना)

*छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी विनियम (*01-04-2022 *से लागू)*

विषय-वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	3
2	उद्देश्य	3
3	योजना की मुख्य विशेषताएं	3
3.1	दायरा	3
3.2	पात्रता की शर्तें	3-4
3.3	आय संबंधी मानदंड	5
3.4	छात्रवृत्ति की राशि	5
3.4.1	शुल्क घटक	6
3.4.2	वृत्तिका (स्टाइपेंड)	7-8
4	राज्यों के आंतरिक और बाह्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों का पैनल बनाना	8-9
5	उम्मीदवारों का चयन	9-10
5.1	संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ) की भूमिका	10-11
5.2	जिला/राज्य के नोडल अधिकारी की भूमिका	11
5.3	मंत्रालय की भूमिका	11-12
6	आवश्यक दस्तावेज़	12-13
7	छात्रवृत्ति की अवधि और नवीनीकरण	13-14
8	योजना की घोषणा और समयरेखा	14-15
9	प्रचार और आवेदन आमंत्रित करना	15
10	योजना का वित्त-पोषण प्रतिरूप (पैटर्न)	16
11	भारत सरकार की सहायता के लिए दावा करने और धनराशि निर्मुक्त करने की प्रक्रिया	16-17
12	निगरानी और मूल्यांकन	17-18
13	मौजूदा लाभार्थियों के लिए अस्थायी प्रावधान	18
14	केंद्र और राज्य पीएमयू	18-19
15	योजना के प्रावधानों में परिवर्तन	19

1. परिचय

यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत में ग्यारहवीं कक्षा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक उच्च शिक्षा शुरू करने के लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लागू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।.

2. उद्देश्य

क. अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पोस्ट मैट्रिक से स्नातकोत्तर स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

ख. लक्षित लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सुचारू (त्रुटि मुक्त) मंच तैयार करना।

3. योजना की मुख्य विशेषताएं

3.1. कार्यक्षेत्र

योजना के तहत यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और सीधे छात्रों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। छात्रवृत्ति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तय किए गए अधिवास की शर्तों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जिस राज्य से आवेदक संबंधित है।

3.2 पात्रता की शर्तें

क. छात्र, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अधिवास राज्य) के संबंध में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए है जिससे वह वास्तव में संबंधित है।

ख. छात्र, मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

ग. छात्र की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ. छात्र का आधार और मोबाइल नंबर से जुड़े अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बैंक में एक वैध खाता होना चाहिए।

ङ. छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न करता हो।

च. ये छात्रवृत्तियाँ, संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा मान्यता/स्वीकृति प्रदान करने पर निम्नलिखित श्रेणी के संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर/पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएंगी:-

i. सभी सरकारी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय

ii. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान;

iii. केंद्रीय विश्वविद्यालय / राज्य विश्वविद्यालय / यूजीसी द्वारा मान्यता

प्राप्त स्वायत्त महाविद्यालय और यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) और/ या 12 (ख) के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय;

iv. मानद विश्वविद्यालय;

v. नैक, एनबीए द्वारा 'क' स्तर या समकक्ष मान्यता के साथ राज्य / केंद्र द्वारा मान्य (प्रत्यायित) निजी विश्वविद्यालय;

vi. किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी व्यावसायिक संस्थान

vii. कक्षा XI से XII तक के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त /सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय;

viii. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान;

ix. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान;

x. उपयुक्त निकायों जैसे एमसीआई/एआईसीटीई आदि द्वारा संबद्ध/अनुमोदित संस्थान या किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में राज्य/केंद्र द्वारा स्थापित कोई नियामक निकाय।

नोट *1:* "अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" योजना [उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति] के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय छात्रों को पूरे भारत में शीर्ष श्रेणी के संस्थानों (वर्तमान में *252)* में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। छात्र एक ही छात्रवृत्ति ले पाये इसलिए, ***ऐसे संस्थानों में पाठ्यक्रम करने वाले छात्र मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे।*** पोस्ट मैट्रिकोत्तर योजनाओं के तहत *2020-21* तक पहले से पंजीकृत सभी छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक इस योजना के तहत वित्त-पोषित किया जाता रहेगा। दिशा-निर्देश जारी होने के बाद दाखिल हुए नए छात्रों को शैक्षणिक वर्ष *2021-22* से "अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" योजना के छात्रवृत्ति घटक के तहत पंजीकृत किया जाएगा। शीर्ष श्रेणी के *252* संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट (*tribal.nic.in)* पर दी गई है।

नोट 2: राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र, धीरे-धीरे (क्रमिक रूप से) उन संस्थानों की ओर रुख करेंगे, जिन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय के एनआईआरएफ के अनुसार उच्च रैंक प्राप्त है ताकि बेहतर रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।

3.2.1. एक विषय (स्ट्रीम) में पाठ्यक्रम (कोर्स) पूरा करने वाले उम्मीदवार अलग-अलग विषयों में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम (कोर्स) करने के पात्र नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, बी.ए. करने के बाद बी.कॉम या बी.टेक करने के बाद बीएससी या एमबीबीएस करने के लिए छात्र छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा।

3.2.2. इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारक एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त कर सकता है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया जाता है, तो छात्र दो छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद हो और उसके द्वारा दिए गए विकल्प के बारे में संस्थान के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए।.

3.3. आय संबंधी मानदंड

छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को किया जाएगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं है।

पारिवारिक आय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: -

i. ऐसे मामले में जहां पिता और माता दोनों कार्यरत हैं, उन दोनों की सभी स्रोतों से संयुक्त आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल किया जाएगा।
ii. यदि, पिता और माता के अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य, एक कमाऊ सदस्य है, तो उसकी आय कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
iii. यदि माता-पिता में से केवल एक जीवित है, तो कुल पारिवारिक आय पर विचार करने के लिए उस माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाएगा। यदि अन्य सहोदर या परिवार का सदस्य कमाने वाला सदस्य है, तो उनकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
iv. अभिभावक द्वारा समर्थित (पोषित) एक अनाथ के मामले में, आय मानदंड लागू नहीं होंगे।

नोट 1: आय की परिभाषा - आय का अभिप्राय सकल आय से है जिसमें आयकर अधिनियम में उपलब्ध किसी छूट और कटौती के बिना सभी स्रोतों से आय शामिल है।

नोट 2: आय प्रमाण पत्र केवल एक बार अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय देना आवश्यक है जो पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा। पाठ्यक्रम के दूसरे या बाद के वर्ष में नवीनीकरण के समय, नए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

***नोट* 3:** प्रवेश के समय दिया गया आय प्रमाण पत्र उसी वर्ष का होना चाहिए जिस वर्ष में प्रवेश लिया गया हो। वेतनभोगी कर्मचारी के मामले में पात्रता के प्रयोजन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष *2021-22* के लिए नए सिरे से आवेदन करता है, तो वित्तीय वर्ष *2020-21* के लिए पारिवारिक आय की आवश्यकता होगी।

3.4. छात्रवृत्ति की राशि

छात्रवृत्ति के दो घटक होंगे, छात्र द्वारा किए गए पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान और मासिक वजीफा।

3.4.1. शुल्क घटक :

शुल्क घटक छात्र द्वारा किए गए पाठ्यक्रम के प्रकार पर निर्भर करेगा। कोर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है।

तालिका 1

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	विभिन्न विषयों (संकायों) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी के लिए अग्रणी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
समूह II	कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे बीए / बी.एससी / बी.कॉम या एमए / एमएससी / एम.कॉम आदि में समूह-I के तहत कवर नहीं किए गए स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए सभी गैर-पेशेवर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम।

समूह III	व्यवसायिक विषय (वोकेशनल स्ट्रीम), आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।
समूह IV	मैट्रिकोत्तर स्तर के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम उदाहरण के लिए सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII) जिनके लिए प्रवेश योग्यता दसवीं कक्षा (हाई स्कूल) है ।

नोट 1: शुल्क घटक राज्य की राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय किया जाएगा। जहां तक भारत सरकार से सहायता का संबंध है निजी क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष और एमबीबीएस / एमएस / एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा होगी। तथापि, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, निजी क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को ऊपर निर्दिष्ट सीमा से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। लेखांकन प्रयोजन के लिए, ऐसी अतिरिक्त राशि को, यदि कोई हो, राज्य पोर्टल में अलग से दर्ज किया जाएगा।

नोट 2: ये दिशानिर्देश नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1.4.2022 से भावी रूप से लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मौजूदा छात्रों ने प्रवेश के समय प्रचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर या बाहर किसी विशेष पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया है, उन्हें पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क के संबंध में लाभ मिलता रहेगा। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 1.4.2022 को या उसके बाद आवेदन करने वाले छात्रों के संबंध में नए दिशा-निर्देश लागू होंगे।

3.4.2 वजीफा (स्टीपेंड):

नीचे सूचीबद्ध दरों के अनुसार छात्र वजीफा पाने के हकदार होगें।

तालिका : 2

समूह	पाठ्यक्रम	छात्रावासी		दिवा-विद्यार्थी (डे-स्कॉलर)	
		मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक
समूह I	विभिन्न संकायों (विषयों) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक, मास्टर डिग्री, एमफिल / पीएचडी डिग्री, डिग्री, पीजी डिप्लोमा	1200	12000	550	5500
समूह II	बीए/बी.एससी/बी.कॉम या एमए/एमएससी/ एम.कॉम जैसे कला, विज्ञान और वाणिज्य के समूह-I के अंतर्गत शामिल नही किए गए। गैर-पेशेवर मान्यता प्राप्त सभी पाठ्यक्रम जिनके पश्चात स्नातक, मास्टर डिग्री, एमफिल/पीएचडी डिग्री किए जा सकते है	820	8200	530	5300
समूह III	व्यवसायिक विषयों (संकायों), आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक आदि में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	570	5700	300	3000
समूह – IV	सभी पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (दसवीं कक्षा) है, उदाहरण के लिए सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII)।	380	3800	230	2300

नोट *1:* यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वजीफा एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो एक छात्र को एक विशेष पाठ्यक्रम करने के लिए प्रदान किया जाता है और किसी भी तरह से बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क जैसे मेस, छात्रावास या अन्य समान शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए नहीं है। छात्र को समूह-*I* से *IV* में सूचीबद्ध पाठ्यक्रम के

अनुरूप दरों के अनुसार वजीफा दिया जाएगा। हालांकि, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना की निर्धारित दरों से अधिक वजीफा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। लेखांकन प्रयोजन के लिए, ऐसी अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को अलग से राज्य पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।

नोट *2:* राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो के भीतर और बाहर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवास और भोजन (बोर्डिंग एंड लाजिंग) सुविधा प्रदान करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो को उन शहरों की पहचान करने की सलाह दी जाती है जहां स्थित ऐसे संस्थानों में छात्रावास की उपलब्धता नहीं है। राज्य राज्य के भीतर और बाहर जनजातीय छात्रावासों के निर्माण के लिए टीएसएस को एससीए/*275(1)* से अनुदान मांग सकते हैं। हालांकि ऐसे छात्रावास सभी राज्यों के छात्रों के लिए खुले रहेंगे।

नोट 3: आम तौर पर *'हॉस्टल'* शब्द एक सामान्य आवासीय भवन और शैक्षिक संस्थान के प्राधिकारियों की देखरेख में चलने वाले छात्रों के लिए एक सामान्य मेस (भोजनालय) के लिए अनुप्रयोज्य है। यदि कॉलेज के प्राधिकारी कॉलेज के छात्रावास में आवास प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, तो इस योजना के प्रयोजन के लिए स्वीकृत निवास स्थान को भी छात्रावास के रूप में माना जा सकता है। संस्थान के प्रमुख द्वारा उचित निरीक्षण के बाद और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए जगह को मंजूरी दी जाएगी। ऐसे मामले में, इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि छात्र निवास के स्वीकृत स्थान पर रह रहा है क्योंकि उसे कॉलेज के छात्रावास में आवास नहीं मिल पा रहा है, संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मानित छात्रावास (डीम्ड हॉस्टल) में ऐसे आवास शामिल होने चाहिएं जो आमतौर पर आम मेस की व्यवस्था के साथ कम से कम *5 (*पांच) छात्रों के एक समूह द्वारा किराए पर लिए गए हों।

नोट 4: अतिरिक्त दिव्यांगता भत्ता*:* **-** उपरोक्त तालिका-*2* में दिए गए स्टाइपेंड के अलावा, छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगजन छात्र को *800/-* रुपये प्रति माह (*9600* रुपये सालाना) और दिवा छात्र (डे स्कॉलर) को *600* रुपये (*7200* रुपये सालाना) का अतिरिक्त स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रासंगिक 'दिव्यांगता अधिनियम*'* के तहत परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। दिव्यांगता भत्ता के प्रावधान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कुष्ठ-उपचारित और सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वाले छात्रों पर भी लागू होंगे।

4. राज्यों के भीतर और बाहर संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सूचीबद्ध करना

क. यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्यों के भीतर और बाहर के पात्र संस्थानों को सूचीबद्ध करे जहां छात्र प्रवेश ले सकते हैं। छात्र अधिवास राज्य के भीतर और बाहर किसी भी सरकारी स्कूल/संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अधिवास राज्य के भीतर और बाहर स्थित गैर-सरकारी स्कूलों/संस्थानों/कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के संबंध में, प्रत्येक राज्य ऐसे गैर-सरकारी संस्थानों और उन पाठ्यक्रमों की सूची तैयार करेगा जिनके लिए ऐसे संस्थान समूह-I से IV के अनुसार पात्र हैं। राज्य ऐसी सूची को इसके पोर्टल पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ साझा करेंगे।

ख. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के अंदर और बाहर स्थित सूचीबद्ध गैर-सरकारी स्कूल/संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय वांछित बुनियादी ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अधिवास राज्य द्वारा ऐसे संस्थानों के निरीक्षण के लिए संबंधित गंतव्य राज्य के समन्वय से एक तंत्र तैयार किया जाएगा जहां ऐसा संस्थान स्थित है।

ग. किसी छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने से पहले राज्य सरकार पंजीकरण, संबद्धता और मान्यता (प्रत्यायन), पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों और स्कूलों / संस्थानों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या का सत्यापन करेगी।

घ. आवेदन पत्र में, यह उल्लेख किया जाएगा कि छात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर एक संस्थान में अध्ययन कर रहा है और आवश्यक संबद्धता और मान्यता (प्रत्यायनो) के साथ उस संस्थान के संबंध में डेटा ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज किया जाएगा।

ङ. यदि छात्र को छात्रवृत्ति के वितरण में देरी होती है तो संबंधित गैर-सरकारी स्कूल/संस्थान/कॉलेज छात्र को शुल्क का भुगतान करने के लिए विवश नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राज्य सरकार द्वारा शुल्क के भुगतान में देरी होने पर भी छात्र को परीक्षा में बैठने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए। राज्य संस्थानों को सूचीबद्ध करते समय उनसे ऐसे वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) ले सकते हैं। हालांकि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे स्कूल/ संस्थान/ कॉलेज/विश्वविद्यालय की किसी भी शिकायत का

प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। राज्य ऐसे गैर-सरकारी विद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों के पैनलीकरण, निरीक्षण तथा शिकायत निवारण हेतु छात्रवृत्ति प्रभाग में विशेष प्रकोष्ठ बना सकता है, जिसके लिए दिशा-निर्देशों के पैरा 14 में की गई चर्चा के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशासनिक खर्चों से व्यय किया जा सकता है।

च. राज्य यह निर्णय ले सकता है कि क्या पूरी फीस डीबीटी मोड द्वारा छात्र के खाते में जमा की जाएगी या शिक्षण शुल्क संस्थान को और छात्र को वजीफा दिया जा सकता है।

5. उम्मीदवारों का चयन

i. सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने और डीबीटी मोड के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में संवितरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता है। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के पास ऐसे आवेदन आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का चुनने का विकल्प है, यदि राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के पास अपना पोर्टल नहीं है।

ii. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र आवेदकों की पात्रता के समर्थन में आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। कोई भी छात्र गलत तथ्य बताते हुए पाया गया और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, वह अयोग्य हो जाएगा और योजना के किसी भी लाभ से रोक दिया जाएगा।

iii. पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य/एनएसपी पोर्टल के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

क. एक राज्य (अधिवास राज्य) से संबंधित लेकिन दूसरे राज्य में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिससे वे (अधिवास राज्य) संबंधित हैं और अपने अधिवास राज्य में सक्षम अधिकारियों को अपने आवेदन जमा करेंगे। छात्र राज्य के भीतर या बाहर किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश ले सकता है। जहां तक गैर-सरकारी संस्थानों का संबंध है, छात्र केवल राज्य के भीतर और बाहर सूचीबद्ध संस्थानों में ही प्रवेश ले सकते हैं जैसा कि ऊपर पैरा 4 (क) में चर्चा की गई है।

ख. आवेदन में दिया गया बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, आईएफएससी कोड) सही

है और खाते को सक्रिय (अर्थात गैर निष्क्रिय) रखें। खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए और समय पर डीबीटी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर से लिंक्ड (जुड़ा हुआ) होना चाहिए।

ग. अपलोड किए गए दस्तावेज़ों और फ़ोटो का रिज़ॉल्यूशन/गुणवत्ता पर्याप्त है और दस्तावेज़ सुपाठ्य और स्पष्ट है।

घ. आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर सही, सक्रिय है और आवेदक या माता-पिता का है। छात्र को अधिमानतः पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए बैंक खाते से जुड़े उसी मोबाइल नंबर को जारी रखना चाहिए।

ङ. छात्र/आवेदक को राज्य के स्वामित्व वाले पोर्टल/एनएसपी से प्राप्त एसएमएस पर समय पर कार्रवाई करनी चाहिए

च. आवेदक को समय सीमा से पहले आवेदन सत्यापन के लिए संस्थानों से संपर्क करना चाहिए।

छ. आवेदक को त्रुटि(त्रुटियों) को सुधारना चाहिए और आवेदन में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना चाहिए यदि आवेदन राज्य के स्वामित्व वाले पोर्टल/एनएसपी में त्रुटिपूर्ण (दोषपूर्ण) के रूप में चिह्नित है।

5.1. संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ) की भूमिका

प्रत्येक संस्थान के लिए एक नोडल अधिकारी होगा। पोर्टल का उपयोग करने वाले संस्थान के नोडल अधिकारी को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

क. नोडल अधिकारी संस्थान द्वारा जारी वैध दस्तावेजों के साथ पोर्टल में पंजीकरण (पंजीकृत) कराएं।

ख. पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले संस्थान/स्कूल के पास वैध एआईएसएचई/यू-डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होना चाहिए। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी आवश्यक विवरण प्रदान करके इसे जोड़ सकते हैं।

ग. संस्थान के नोडल अधिकारी की प्राथमिक भूमिका पोर्टल पर आवेदकों द्वारा जमा किए गए आवेदनों का प्रथम स्तर का सत्यापन है। संस्थान के नोडल अधिकारी को छात्र/आवेदक द्वारा जमा (प्रस्तुत) किए गए आवेदन पत्र और अपलोड किए गए दस्तावेजों में विवरण सत्यापन करना चाहिए, और छात्र/आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियों को रखना चाहिए। जिला/राज्य/मंत्रालय के नोडल अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के नोडल अधिकारियों से इन दस्तावेजों की प्रतियां मांग सकते हैं।

घ. संस्थान के नोडल अधिकारी के पास आवेदन को सत्यापित करने, आवेदन को

अस्वीकार करने या आवेदन को त्रुटिपूर्ण (दोषपूर्ण) बताने का विकल्प होता है। यदि वह आवेदन को अस्वीकार या त्रुटिपूर्ण (दोषपूर्ण) करना चाहता/चाहती है, तो अस्वीकृति या त्रुटि (दोष) के कारण प्रदान किए जाने चाहिएं, ताकि उसे छात्र/आवेदक को दिखाया जा सके।

5.2. जिला/राज्य नोडल अधिकारी की भूमिका

जिला/राज्य नोडल अधिकारी की प्राथमिक भूमिका दूसरे/तीसरे स्तर पर दस्तावेजों को सत्यापित करना है।

i. जिला/राज्य नोडल अधिकारी संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्र/आवेदक द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और अपलोड किए गए दस्तावेजों में विवरण की शुद्धता का सत्यापन करेगा।
ii. जिला/राज्य नोडल अधिकारी या तो आवेदन को सत्यापित कर सकता है, आवेदन को त्रुटिपूर्ण (दोषपूर्ण) बता सकता है या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
iii. जिला/राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी संस्थान स्तर पर योजना के लिए आवेदनों की समग्र लम्बितता की निगरानी करेगा।
iv. जिला/राज्य नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान द्वारा समय पर आवेदनों की संवीक्षा (जांच) की जाती है, इस प्रकार आवेदनों को सत्यापित करने के लिए अंतिम क्षण (समय) की जल्दबाजी (हड़बड़ी) से बचा जा सकता है, जिसे छात्र/आवेदकों को दिखाया जा सकता है।

5.3. मंत्रालय की भूमिका:

मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका योजना की समग्र प्रगति की निगरानी करना है। मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और पोर्टल के विकास के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

क. मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो को पीएफएमएस कॉन्फ़िग्यूरेशन (विशेषताएं) विवरण (एजेंसी आईडी, एजेंसी का नाम, पीएफएमएस योजना कोड, डीबीटी मिशन कोड, लाभार्थी प्रकार, भुगतान उद्देश्य कोड) प्रदान करेगा।
ख. मंत्रालय योजना कॉन्फ़िग्यूरेशन (विशेषता) की सत्यता का सत्यापन करेगा, जिसमें पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण तिथियां आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
ग. मंत्रालय अपने पोर्टल पर लाभार्थी डेटा अपलोड करने के लिए राज्यों को सुविधा

प्रदान करने हेतु उचित आईटी मंच प्रदान करेंगे और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

6. आवश्यक दस्तावेज़: दिशा-निर्देशों के खंड 3 में उल्लिखित आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के लिए छात्रों को सावधानीपूर्वक राज्य/एनएसपी पोर्टल पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

क. आधार संख्या

ख. अधिवास प्रमाणपत्र

ग. उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं के संबंध में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि की स्कैन की हुई प्रति।

घ. अंतिम अर्हता प्राप्त अंक [सीजीपीए/ओजीपीए आदि के मामले में प्रतिशतता/समकक्ष प्रतिशतता]

ङ. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.ज.जा. (एसटी) प्रमाण पत्र।

च. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।

छ. दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

ज. पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन की हुई प्रति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अ.ज.जा (एसटी) प्रमाण पत्र, परिवार आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि राज्य के पास उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र सहित ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डिजी लॉकर के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पोर्टल को लिंक कर सकते हैं ताकि डिजी लॉकर में रखे गए प्रमाण पत्र स्वतः प्राप्त किए जा सकें।

नोट **1:-** आय के स्व-मूल्यांकन की स्व-घोषणा या शपथ-पत्र (हलफनामा) स्वीकार्य नहीं होगा और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें इस उद्देश्य के लिए एक सक्षम आय-प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए उचित व्यवस्था करेंगी।

6.1. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो को छात्रों के प्रश्नों (क्वेरी) का समाधान करने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क/शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों स्तर पर हेल्पडेस्क की प्राथमिक भूमिका पोर्टल के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं को प्रथम स्तर की सहायता प्रदान करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

क. पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रों/आवेदकों की सहायता करना और शुल्क, संस्थान विवरण आदि पर पूछताछ के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

ख. जब भी आवश्यकता हो, महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य/एनएसपी टीम तक पहुंचाएं।

6.2 लाभार्थियों का डी-डुप्लीकेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखेंगे

7. छात्रवृत्ति की अवधि और नवीनीकरण

i. छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए देय होगी जिसके लिए आवेदन किया गया है।

ii. आवेदन पत्र में छात्र को पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख करना होगा। एक बार दी गई छात्रवृत्ति को उस चरण से मान्य किया जाएगा जिस पर इसे पाठ्यक्रम के पूरा होने तक दिया जाता है, बशर्ते कि अच्छा आचरण और उपस्थिति में नियमितता हो।

iii. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में किसी योग्य पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे या बाद के वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है और पात्रता के अधीन आवेदन की तिथि से पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा।

iv. एक छात्र को छात्रवृत्ति का नवीनीकरण साल-दर-साल किया जाएगा, बशर्ते कि उसने पिछली कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और अगली कक्षा में चला गया हो।

v. यदि वह एक वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह तब तक छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस कक्षा को पास नहीं कर लेता और अगली कक्षा में उन्नयन नहीं हो जाता।

vi. हालांकि, यदि कोई छात्र बीमारी और/या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और/या अन्य आवश्यक पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने और यह प्रमाणित करने पर कि यदि वह परीक्षा में शामिल होता तो छात्र पास हो गया होता, तो अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है।

vii. किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के विनियमों के अनुसार, यदि किसी छात्र को अगली उच्च कक्षा में उन्नत किया जाता है, भले ही वह वास्तव में निचली कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो और कुछ समय बाद फिर से कनिष्ठ (जूनियर) कक्षा की परीक्षा देने की आवश्यकता हो, तो वह यदि छात्र अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, तो वह उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा/होगी जिसमें उसे उन्नत किया गया है।

viii. वजीफा (स्टाइपेंड) 1 अप्रैल से या प्रवेश के महीने से, उस महीने तक जिसमें परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, जो भी बाद में हो, शैक्षणिक वर्ष के अंत में अधिकतम 10 महीने की अवधि के लिए देय होता है।

ix. पिछले वर्षों में प्रदान की गई छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, छात्रवृत्ति का भुगतान उस महीने के अगले महीने से किया जाएगा जिस महीने तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था, यदि अध्ययन का कोर्स निरंतर है।

x. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप/हाउसमैन-शिप की अवधि के लिए या अन्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि छात्र इंटर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक या अन्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/वजीफा प्राप्त करता है।

xi. छात्रवृत्ति विद्वानों की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है। यदि संस्थान के प्रमुख द्वारा किसी भी समय यह सूचित किया जाता है कि एक छात्र अपने स्वयं के चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है या कदाचार का दोषी रहा है जैसे कि हड़ताल का सहारा लेना या उसमें भाग लेना, उपस्थिति में अनियमितता संबंधित अधिकारियों आदि की अनुमति के बिना, छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति को रद्द कर सकता है या रोक सकता है या ऐसी अवधि के लिए और भुगतान रोक सकता है जो वह उचित समझे।

xii. यदि किसी छात्र को झूठे बयानों (कथनों) से छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए पाया जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की

गई छात्रवृत्ति की राशि संबंधित राज्य सरकार के विवेक पर वसूल की जाएगी। संबंधित छात्र को काली सूची में डाल दिया जाएगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति के लिए हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा।

xiii. यदि छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम के विषय को बदल देता है जिसके लिए छात्रवृत्ति मूल रूप से प्रदान की गई थी या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अध्ययन संस्थान को बदल देता है, तो दी गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकता है । संस्थान के प्रमुख छात्रवृत्ति की धनराशि के भुगतान को रोकने के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देंगे। पहले से भुगतान की गई राशि भी राज्य सरकार के विवेक पर वसूल की जा सकती है।

xiv. यदि वर्ष के कोर्स के दौरान, जिस अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, वह उसके द्वारा बंद कर दिया गया है, तो एक छात्र राज्य सरकार के विवेक पर छात्रवृत्ति राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है ।

xv. भारत सरकार के विवेक पर किसी भी समय विनियमों को बदला जा सकता है।

8. योजना की घोषणा और समय सीमा

छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल को खोलने और बंद करने, आवेदनों के सत्यापन और डीबीटी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए समय-सीमा का पालन करें। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 1 मई तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोलने के लिए सभी प्रयास करेंगे। प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पोर्टल के खुलने (प्रारंभिक तिथि) और बंद होने की तिथि (अंतिम तिथि) के उचित विज्ञापन के लिए राज्य जिम्मेदार होगा और राज्य के बाहर स्थित सभी सूचीबद्ध संस्थानों को खोलने (प्रारंभिक तिथि) और बंद करने (अंतिम तिथि) की तारीखों के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदक को आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन जमा / अपलोड करना चाहिए। पोर्टल खोलने, बंद करने, छात्रों और संस्थान के सत्यापन और छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का सुझाव दिया गया है।

प्रक्रिया	नवीन	नवीनीकरण
विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण	**1** अप्रैल - **30** सितंबर	**1** अप्रैल - **30** सितंबर
संस्थानों के सत्यापन का समापन	30 अक्टूबर	30 अक्टूबर
संस्थान / राज्य द्वारा सत्यापन का समापन	15 नवंबर	
छात्रवृत्ति का वितरण	31 दिसंबर	15 नवंबर

उपर्युक्त समय-सीमाएँ केवल सांकेतिक (सुझावात्मक) हैं। राज्य को प्रयास करना चाहिए कि नवीन छात्रों के लिए सत्यापन पूरा होते ही संवितरण शुरू हो जाए।

नोट 1: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति प्रभाग के तहत एक समर्पित सेल बनाया जाए जो पोर्टल तैयार करने, आवेदन भरने में शिकायत निवारण, पोर्टल के साथ राज्य के बाहर सूचीबद्ध संस्थानों सहित सभी संस्थानों के एकीकरण, दस्तावेजों के सत्यापन और छात्र की पात्रता के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शुल्क और वजीफा की जांच, आधार से जुड़े बैंक खाते और छात्रवृत्ति के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा। दिशा-निर्देशों के पैरा 14 में चर्चा के अनुसार योजना के तहत प्रदान किए गए प्रशासनिक खर्चों से व्यय किया जा सकता है।

9. प्रचार और आवेदन आमंत्रित करना

राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करे और स्थानीय भाषा में विज्ञापन जारी करके, राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में और अपनी-अपनी वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करे। नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)/ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/किसी अन्य हितधारक के समन्वय से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

10. योजना का वित्त पोषण पैटर्न

यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के

प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार का योगदान 75% है और राज्य का योगदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% है और राज्य का योगदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का योगदान 100% है।

10.1. मंत्रालय का यह प्रयास है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए डीबीटी मोड द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति अन्तरित (हस्तांतरित) की जाए। मंत्रालय एनएसपी के साथ एक तंत्र तैयार करेगा ताकि योजना में केंद्रीय हिस्सा राज्यों के परामर्श से सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड पर जारी किया जा सके। राज्यों को संस्थान, जिला और राज्य स्तर पर छात्र का आवश्यक सत्यापन पूरा करना आवश्यक होगा। आवश्यक सत्यापन के बाद, राज्य पात्र छात्रों का डेटा एनएसपी को साझा करेगा, जो बदले में छात्र के बैंक खाते में राशि जारी करेगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश राज्यों से परामर्श के बाद जारी किए जाएंगे। जब तक उक्त तंत्र विकसित नहीं हो जाता, तब तक छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपने योगदान से डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में वितरित करेंगे।

11. केंद्रीय सहायता का दावा करने और जारी करने की प्रक्रिया

(i). राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय सहायता दो या दो से अधिक किस्तों में जारी की जाएगी, जो निधियों की उपलब्धता और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अनुपालन पर निर्भर करेगा। केंद्रीय सहायता व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी। राज्यों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा: -

क) राज्य ने पिछले वर्ष में दी गई राशि का उपयोग किया है और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है।

ख) लाभार्थियों को राशि वितरित कर दी गई है और व्यय पीएफएमएस में दर्शाया गया है।

ग) राज्य ने भी पिछले वर्ष में केंद्रीय हिस्से के अनुरूप अपने हिस्से का योगदान

(अंशदान) दिया है।

घ) राज्य ने पिछले वर्ष का व्यय विवरण (एसओई) प्रस्तुत किया है, जो वास्तव में उपयोग की गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

ङ) राज्य ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोल दिया है।

च) राज्य ने पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया है।

(ii). निधियों की उपलब्धता और पिछले वर्ष में प्रदान की गई निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुपालन के आधार पर, छात्रवृत्ति के समय पर संवितरण के लिए व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा सकता है।

(iii). राज्य को अंतिम किस्त पहले से जारी अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने पर जारी की जाएगी और राशि लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है और व्यय पीएफएमएस में दर्शाया गया है। राज्य केंद्र और राज्य के हिस्से सहित कुल देयता का विवरण देते हुए व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

12. निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी और मूल्यांकन का उपयोग योजना के प्रदर्शन का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिन उद्देश्यों के लिए योजना शुरू की गई है, उन्हें प्राप्त किया गया है। निगरानी और मूल्यांकन का उद्देश्य आउटपुट, परिणाम और प्रभाव के वर्तमान और भविष्य के प्रबंधन में सुधार करना है। इस संबंध में डीबीटी मिशन ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक हैं:

i. आवेदन आमंत्रित करने, सत्यापन और निधियों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईटी आधारित प्रणाली।

ii. डेटा को आधार नंबर सहित लाभार्थी की जानकारी दर्ज करनी चाहिए और आधार सीआईडीआर के साथ एकीकृत करना चाहिए।

iii. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) मानक का पालन करना चाहिए

iv. संस्थानों को डीआईएसई/एआईएसएचई कोड का उपयोग करना चाहिए।

v. बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और पीएफएमएस / राज्य कोषागार के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए

vi. मंत्रालय अपनी स्वयं की योजना एमआईएस विकसित करेगा

vii. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक समान डेटा विनिमय प्रारूप में लाभार्थी डेटा साझा करेंगे

viii. डेटा की मासिक रिपोर्टिंग के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत करना चाहिए

12.1. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीबीटी पोर्टल (dbttribal.gov.in) विकसित किया है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और डीबीटी मिशन के परामर्श से एक समान डेटा विनिमय प्रारूप तैयार किया है। पोर्टल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

I. वेब सेवाओं, एक्सेल/सीएसवी या मैन्युअल डेटा प्रविष्टि के माध्यम से डेटा अपलोड करने के लिए डेटा साझाकरण मॉड्यूल ।

II. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्वरित संचार के लिए संचार मॉड्यूल। इस मॉड्यूल ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यूसी, एसओई और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा दी है। नोटिस बोर्ड पर दस्तावेज़ अपलोड होने पर राज्य और अधिसूचना के लिए बल्क संदेश और ईमेल भेजने की सुविधा है।

III. शिकायत मॉड्यूल: राज्य डेटा अपलोड करने, उपयोगकर्ताओं के परिवर्तन, लॉग इन आईडी और पीडब्लू में परिवर्तन या निधियां जारी करने से संबंधित शिकायतों, निधि के और लाभार्थी के बेमेल विवरण आदि से संबंधित मुद्दों के संबंध में तकनीकी प्रश्न दर्ज कर सकते हैं।

IV. राज्यों तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित निगरानी के लिए लाभार्थियों और निधि निर्मुक्ति के संबंध में राज्यों द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित गतिशील (डायनेमिक) डैशबोर्ड।

12.2. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीबीटी पोर्टल (dbttribal.gov.in) विकसित किया है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और डीबीटी मिशन के परामर्श से एक समान डेटा विनिमय प्रारूप तैयार किया है। मंत्रालय इस

संबंध में राज्यों को अलग से निर्देश जारी करेगा

(i). डेटा साझा करने के लिए डीबीटी पोर्टल/एनएसपी पोर्टल का उपयोग।

(ii). राज्य पोर्टल के साथ डीबीटी/एनएसपी पोर्टल का एकीकरण,

(iii). डेटा का मानकीकरण,

(iv). डेटा शेयरिंग प्रारूप

(V). एमआईएस रिपोर्ट और डैशबोर्ड।

12.3. यदि निधियों के किसी कपटपूर्ण उपयोग का पता चलता है, तो यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी कि वह एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर जांच करवाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जनजातीय कार्य मंत्रालय को जांच के परिणाम साझा करेंगे। राज्य जनजातीय कार्य मंत्रालय के मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग/नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) प्रभाग या योजना के आउटपुट- आउटकम या प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आवश्यक किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियुक्त निगरानी एजेंसी को डेटा, लाभार्थी विवरण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

12.3. जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के समन्वय में एक विशेष एजेंसी के माध्यम से योजना के आवधिक मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।

13. मौजूदा लाभार्थियों के लिए अस्थायी प्रावधान

अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के चिन्हित लाभार्थियों को भी योजना के संशोधन की प्रभावी तिथि से छात्रवृत्ति की संशोधित दर का लाभ मिलेगा। जैसा कि पैरा 3.4.1 के तहत तालिका के नोट-2 के सामने कहा गया है, मौजूदा छात्र जिन्होंने प्रवेश के समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर या बाहर किसी विशेष पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया है, उन्हें पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क के संबंध में लाभ मिलता रहेगा।

14. केंद्रीय और राज्य पीएमयू

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के समुचित कार्यान्वयन को

सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार केंद्रीय पीएमयू की स्थापना के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी और राज्यों को राज्य पीएमयू की स्थापना के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

राज्य पीएमयू की भूमिका

I. राज्य पोर्टल का अनुरक्षण और रखरखाव,
II. डीबीटी मिशन की डेटा साझा करने की आवश्यकता,
III. पीएफएमएस की फंड जवाबदेही आवश्यकता,
IV नीति आयोग के आउटपुट परिणाम की आवश्यकता
V. शिकायत निवारण तंत्र,
VI. पोर्टल के साथ राज्य के बाहर सूचीबद्ध संस्थानों सहित सभी संस्थानों का एकीकरण,
VII. छात्रों की शंकाओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन,
VIII. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई डेटा विश्लेषण रिपोर्ट की जांच।

केंद्रीय पीएमयू की भूमिका

क). पोर्टल और डेटा आवश्यकताएँ:

I. डीबीटी पोर्टल का अनुरक्षण और रखरखाव,
II. डीबीटी के लिए वेब सेवाओं के विकास सहित राज्यों के साथ डेटा साझा करने की आवश्यकता। राज्य, एनएसपी राज्य और एनएसपी पोर्टल
III. दर्पण, पीएमओ और प्रदर्शन डैशबोर्ड के लिए वेब सेवाएं।
IV. डेटा विश्लेषिकी (एनालिटिक्स) और एमआईएस रिपोर्ट।

क) निधियों के दुर्विनियोजन या दुरूपयोग के साक्ष्य के मामले में क्षेत्र का दौरा और पूछताछ।

ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से राज्यों की सहभागिता और क्षमता निर्माण।

ग) आवश्यकता के अनुसार योजना की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन के लिए पेशेवर एजेंसी की नियुक्ति।

15. योजना के प्रावधानों में परिवर्तन

जनजातीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से इस योजना के प्रावधानों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

*****